अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 826(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना - इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ये नियम 1 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे :

परंतु जहां कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, उस तारीख से जो उस तारीख से पूर्व की नहीं होगी जिसको उक्त नियम प्रवर्तन में आते हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं होगी, इन नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होने के अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुमति दे सकेगा और इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उन वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 अगस्त, 2007 को या उसके पश्चात् निगम के स्थायी स्थापन में पूर्ण कालिक वैतनिक सेवा में थे :

परंतु ऐसे वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी जिसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या 1 अगस्त, 2007 से भारत के राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होगा ।

(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई कर्मचारी उन अतिकालिक मजदूरियों से जिनके लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व वह हकदार था, अधिक अतिकालिक मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं बनेगा ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 में,--

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते :-

(1) वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :-

उच्चतर श्रेणी सहायक : 11425-755(3)-13690-840(15)-26290 रुपए

अनुभाग अध्यक्ष :	9965-630(7)-14375-840(12)-24455 रुपए
आशुलिपिक :	9580-540(4)-11740-625(2)-12990-760(3)-15270-790(2)-16850-840(8)-23570 रुपए
सहायक, गृहीता और संदायकर्ता रोकड़िया प्रोजेक्सनिस्ट के रूप में नियुक्त सहायक तथा माइक्रोप्रोसेसर प्रचालक :	7640-440(1)-8080-480(2)9040-540(5)-11740-625(2)-12990-760(3)-15270-790(2)- 16850-840(5)-21050 रुपए
अभिलेख लिपिक :	7085-250(4)-8085-390(3)-9255-440(2)-10135-445(6)-12805-480(6)-15685 रुपए

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे :-

(अ) उच्चतर श्रेणी सहायक जो आंतरिक लेखा परीक्षा सहायकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं -

(क) प्रथम पांच वर्ष के लिए - 650 रुपए प्रति मास

(ख) आगामी पांच वर्ष के लिए - 740 रुपए प्रति मास

(ग) पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए - 800 रुपए प्रति मास

(आ) सहायक जो गृहीता और संदायकर्ता रोकड़िया के रूप में नियुक्त किए गए हैं - 1500 रुपए प्रति मास ;

जिसे महंगाई भत्ते, भविष्य निधि, उपदान, मकान किराए भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी को भुनाने के लिए संगणना के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा और इसे ग्रान्नति पर वेतन के नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।

(3) वृत्तिमूलक भत्ता वर्ग 3 काडर के कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को संदत्त किया जाएगा,-

(क) बांडा, डुप्लीकेटिंग और ज़िरौक्स मशीन प्रचालक जो अभिलेख लिपिक के वेतनमान में हैं - 90 रुपए प्रति मास

(ख) माइक्रोप्रोसेसर प्रचालक जो सहायकों के वेतनमान में हैं - 170 रुपए प्रति मास

(ग) प्रोग्रामर जो उच्चतर श्रेणी सहायकों के वेतनमान में हैं - 540 रुपए प्रति मास

परंतु विद्यमान वर्ग 3 का कर्मचारी जो 31 जुलाई, 2007 को कोई वृत्तिमूलक भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसे तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिस पर वृत्तिमूलक भत्ता मिलता है, भविष्य में मजदूरी के पुनरीक्षण पर आमेलित कर लिया जाएगा ।";

(ii) नियम 6 में,–

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :-

ड्राइवर :	7085-315(6)-8975-325(1)-9300-390(12)-13980 रुपए
सिपाही, हमाल, प्रधान चपरासी, लिफ्ट मैन तथा चौकीदार :	6180-250(5)-7430-265(8)-9550-315(1)-9865-325(2)- 10515 -390(3)-11685 रुपए
झाड़ूकस और सफाईवाले :	5865-250(5)-7115-265(8)-9235-315(6)-11125 रुपए";

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त,-

(क) निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे जिसे सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में गिना जाएगा :

प्रधान चपरासी, लिफ्ट मैन तथा चौकीदार - 520 रुपए प्रति मास

(ख) फ्रैन्किंग मशीन प्रचालकों को जो सिपाही के वेतनमान में हैं, 70 रुपए प्रतिमास का वृत्तिमूलक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।";

(iii) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 7. वेतनमानों में अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धि : कार्य अभिलेख के संतोषजनक पाए जाने के अधीन रहते हुए -

(क) किसी कर्मचारी को,-

(i) जो वर्ग 3 के अभिलेख लिपिक या सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में है ; या

(ii) जो वर्ग 4 के किसी वेतनमान में है,

जो उसे लागू वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंच जाने के पश्चात् पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए उस वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर एक और वेतनवृद्धि अनुदत्त की जा सकती है किन्तु ऐसी वेतनवृद्धियां अधिक से अधिक सात हो सकेंगी :

परंतु कोई भी कर्मचारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् यथास्थिति, दो वर्ष के पूरा होने के अगले मास की पहली तारीख से पूर्व या ऐसी वृद्धियां प्राप्त करने के पश्चात्, मूल वेतन में ऐसी वृद्धि का हकदार नहीं होगा ।

(ख) अनुभाग अध्यक्ष और उच्चतर श्रेणी सहायक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को जो वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा में पूरे किए गए प्रत्येक तीन वर्ष के लिए मूल वेतन में उसके वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वृद्धि के बराबर वृद्धि, अधिक से अधिक ऐसी छह वृद्धियों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जा सकेगी :

परंतु कोई भी कर्मचारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष के पूरा होने के अगले मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह और कि जहां किसी कर्मचारी को उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से या उसके मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से (यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि की तारीख से सेवा के दो वर्ष या तीन वर्ष के पूरा होने के अगले मास के ऐसे पहले दिन को इसमें इसके पश्चात् " सुसंगत तारीख" कहा गया है), यथास्थिति, सेवा के दो वर्ष या तीन वर्ष पूरा होने के अगले मास के पहले दिन खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाती है वहां उसका मामला प्रत्येक कलेंडर वर्ष के उस मास के, जिसमें वह सुसंगत तारीख से या ऐसे पुनर्विलोकन की तारीख से गणना में लिए गए उस वर्ष में सेवा के बारह मास पूरा करता है, ठीक आगामी मास में पुनरीक्षण के योग्य हो जाएगा, जब तक कि उसे वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं कर दी जाती है, और यदि वेतन वृद्धि मंजूर कर

ली जाती है तो ऐसी वेतन वृद्धि उस मास की प्रथम तारीख से प्रभावी होगी जिसमें उस कलेंडर वर्ष में जिसमें कि वृद्धि देने का विनिश्चय किया जाता है, उसका मामला पुनरीक्षण योग्य हो जाता है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए ' कलेंडर वर्ष' से 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक का वर्ष अभिप्रेत है ।" ।

(iv) नियम 8 में,-

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :-

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) आधार : 1960 के क्रम में सूचकांक सं. 2944 = 100 ।

(ग) दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2944 प्वाइंट से ऊपर तिमाही औसत में प्रत्येक चार प्वाइंटों के लिए, वर्ग 3 या वर्ग 4 के कर्मचारी को वेतन के 0.15% की दर से महंगाई भत्ता संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए " वेतन" से अभिप्रेत है -

(i) मूल वेतन ;

(ii) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन में वृद्धियां ;

(iii) नियम 6 के उपनियम (2)(क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ;

(iv) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता ; और

(v) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ।";

(ख) उपनियम (2) में, "2328-2332-2336-2340 के क्रम में 2328 प्वाइंट्स" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2944-2948-2952-2956 के क्रम में 2944 प्वाइंट्स" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 9 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों, उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें निगम द्वारा आवास आबंटित किया गया है, का मकान किराया भत्ता इस प्रकार होगा :-

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नवी मुंबई नगर, हैदराबाद, बैंगलुरु और 45 लाख तथा अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर ।	वेतन का 10 प्रतिशत, न्यूनतम 700 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 3200 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है किन्तु 45 लाख से कम है और ऊपर	वेतन का 8 प्रतिशत, न्यूनतम 600 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 2700 रुपए प्रतिमास

(i) में वर्णित नगरों को छोड़कर तथा गोवा राज्य में कोई नगर ।	के अधीन रहते हुए
iii. अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, न्यूनतम 570 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 2600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(ii) नगरों में उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होंगी ।

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है,-

(क) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन में वृद्धियों सहित मूल वेतन ;

(ख) नियम 6 के उपनियम (2)(क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ;

(ग) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में संदेय स्नातक भत्ता ;

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 या नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता ।

(ङ) नियम 19घ के अधीन उपबंधित नियत निजी भत्ता ।";

(vi) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्न प्रकार होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नवी मुंबई नगर, हैदराबाद, बैंगलुरु और 45 लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर ।	वेतन का 3 प्रतिशत, न्यूनतम 205 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 635 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है किन्तु 45 लाख से कम है और ऊपर (i) में वर्णित नगरों को छोड़कर तथा गोवा राज्य में कोई नगर ।	वेतन का 2.5 प्रतिशत, न्यूनतम 170 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 595 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या पांच लाख और उससे अधिक है किंतु बारह लाख से	वेतन का 2 प्रतिशत, न्यूनतम 125 रुपए प्रतिमास और अधिकतम 510 रुपए प्रतिमास

अधिक नहीं है, राज्यों की ऐसी राजधानियां जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला ।	के अधीन रहते हुए

परंतु जहां कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, 1 अप्रैल, 1983 से ठीक पूर्व नगर प्रतिकरात्मक भत्ता के रूप में 20 रु. प्रतिमास की रकम प्राप्त कर रहा है वहां ऐसा कर्मचारी भविष्य में मजदूरी पुनरीक्षण में आमेलित किए जाने के लिए उक्त रकम तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर तैनात रहता है ।" ।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ;

(ii) नगरों में उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होंगी;

(iii) "वेतन" से वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और विशेष भत्ता अभिप्रेत है ।" ;

(vii) नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"11. पर्वतीय स्थान भत्ता : वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता के मापमान निम्न प्रकार होंगे :-

क्रम सं.	स्थान (1)	दर (2)
1	समुद्री तल से 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 370 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2	समुद्री तल से 1,000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1,500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों, मेरकारा पर और ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारें द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया गया है ।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 290 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
3	समुद्री तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्रतल से 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 290 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

	जा सकता है, तैनात	

(viii) नियम 13क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"13क. **उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई)** : निगम के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को उत्पादकता संबंद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप से संदत्त किया जाएगा :

(i) तारीख 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित एकाग्र विवरण पर आधारित पैरामीटर के आधार पर संपूर्ण रूप से निगम के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबंद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ;

(ii) 1 अप्रैल, 2010 से उसके पश्चात् की अवधि के लिए बोर्ड, अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के एकाग्र विवरण पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के पैरामीटर और कार्य मानक विरचित करने के लिए सशक्त होगा :-

(क) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2007 को वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों का व्यक्तिगत पूर्व पुनरीक्षित वार्षिक वेतन का 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत आदि से अधिकतम 6 प्रतिशत के बराबर संदेय होगा ।

(ख) निगम के कार्यालय के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संपूर्ण रूप से निगम के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(ग) जोन कार्यालय के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संपूर्ण रूप से जोन के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(घ) खंड/शाखा कार्यालय के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संपूर्ण रूप से प्रभाग के कार्य पर आधारित उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(ङ) जोन कार्यालय/ खंड कार्यालय/शाखा कार्यालय के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की न्यूनतम अवसीमा निगमित स्तर उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत होगा ।

टिप्पणः इस नियम के प्रयोजन के लिए वार्षिक वेतन से - (1) विद्यमान वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के संबंध में 1 अगस्त, 2007 को पूर्व पुनरीक्षित मूल वेतन, महंगाई भत्ता और निश्चित वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है ।

(2) 1 अगस्त, 2007 को पूर्व पुनरीक्षित ऐसा मूल वेतन और महंगाई भत्ता अभिप्रेत है जो उस प्रक्रम के अनुरूप है जिस पर उन वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के संबंध में, जिनकी नियुक्ति 1 अगस्त, 2007 के पश्चात् हुई थी, नियुक्ति पर उनका वेतन निश्चित किया गया है ।

(ix) नियम 18 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 18(1) **भविष्य निधि:** परिवीक्षाधीन कर्मचारी या अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी, या तारीख 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् नियुक्त कोई कर्मचारी, या ओरियन्टल गवर्मेन्ट सिक्यूरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लि0 के हस्तांतरित कर्मचारी से भिन्न वर्ग 3 और वर्ग 4 का प्रत्येक कर्मचारी जो उस कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहा है, अपने वेतन के दस प्रतिशत की दर से निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में प्रत्येक मास अभिदाय करेगा । निगम, प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के वास्तविक अभिदाय के समान रकम का भविष्य निधि में अभिदाय करेगा किन्तु जो कर्मचारी के अभिदाय से अधिक नहीं होगी ।

परंतु निगम से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 द्वारा शासित किसी कर्मचारी की पेंशन निधि में कोई ऐसा अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी ।";

(x) नियम 19क के उपनियम (ख) में,-

(i) खंड (i) में, "210/- रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "320/- रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) के उपखंड (क) में, "350/- रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "530/- रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ii) के उपखंड (ख) में, "175/- रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "270/- रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ii) के उपखंड (ग) में, "350/- रु." अंकों और अक्षर के स्थान पर "530/- रु." अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह और कि वे कर्मचारी जो 31 जुलाई, 2007 के पश्चात् स्नातक होंगे, उपर्युक्त नियम (ii) के अधीन स्नातक भत्ते के पात्र नहीं होंगे ।";

(xi) नियम 19ङ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 19ङ. परिवहन भत्ता - वर्ग 3 या वर्ग 4 के प्रत्येक कर्मचारी को, अस्थायी आधार पर नियुक्त कर्मचारी से भिन्न, 275 रुपए प्रति मास की दर से परिवहन भत्ते का संदाय किया जाएगा ।";

(xii) नियम 19च के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 19च. पारादीप पत्तन भत्ता - पारादीप के कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत वर्ग 3 और वर्ग 4 के प्रत्येक कर्मचारी को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या पारादीप में पदभार संभालने की तारीख, इनमें से जो भी बाद की हो, के अगले मास की पहली तारीख से 110 रुपए प्रतिमास का " पारादीप पत्तन भत्ता" संदाय किया जाएगा । यह भत्ता किन्हीं फायदों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।";

[फा. सं. एस-11012/05-2008-बीमा. III(iii)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (बीमा और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों को पुनरीक्षित करने के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से अनुमोदन किया है । भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 को, तदनुसार अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट इन तारीखों से, संशोधित किया जाता है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई कर्मचारी पर अधिसूचना द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण :- मूल नियम, सा0का0नि0 सं0 397 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा0का0नि0 सं0 18 (अ), तारीख 7 जनवरी, 1986, सा0का0नि0 सं0 1076(अ), तारीख 11 सितम्बर, 1986, सा0का0नि0 सं0 961 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1987, सा0का0नि0 सं0 870 (अ) और 873(अ) दोनों, तारीख 22 अगस्त, 1988, सा0का0नि0 सं0 515(अ) , तारीख 12 मई, 1989, सा0का0नि0 सं0 509 (अ), तारीख 24 मई, 1990, सा0का0नि0 सं0 620(अ), तारीख 6 जुलाई, 1990, सा0का0नि0 628(अ), तारीख 10 जुलाई, 1990, सा0का0नि0 सं0 338(अ), तारीख 11 जुलाई, 1990, सा0का0नि0 697(अ), तारीख 25 नवम्बर, 1991, सा0का0नि0 सं0 46(अ) और 47(अ) दोनों, तारीख 4 फरवरी, 1993, सा0का0नि0 सं0 746(अ) , तारीख 13 दिसम्बर, 1993, सा0का0नि0 सं0 55(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994, सा0का0नि0 595(अ), तारीख 30 जून, 1995, सा0का0नि0 सं0 669(अ), तारीख 27 सितम्बर, 1995, सा0का0नि0 102(अ), तारीख 22 फरवरी, 1996, सा0का0नि0 सं0 261(अ), तारीख 22 मई, 1998, सा0का0नि0 सं0 532 (अ), तारीख 27 अगस्त, 1998, सा0का0नि0 445(अ), तारीख 18 जून, 1999, सा0का0नि0 सं0 611(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999, सा0का0नि0 सं0 552 (अ), तारीख 22 जून, 2000, सा0का0नि0 289(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004, सा0का0नि0 सं0 561 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2005, सा0का0नि0 306(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007 और सा0का0नि0 सं0 72(अ), तारीख 6 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे' ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

G.S.R. 826(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:-

1. **Snort title, commencement and application** .- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-III and Class-IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2010.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2007:

Provided that where any Class-III or Class-IV employee gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such employee to be governed by the said rule with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such employee.

(3) These rules shall be applicable to those Class III and Class IV employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2007: